



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237720
CG-DL-E-29072022-237720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3384]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

No. 3384]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3549(अ).—केन्द्रीय सरकार, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ढ) के पहले परन्तुक के खंड (iii) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii), तारीख 26 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1305 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कारखाने के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता के रूप में समझा जाएगा, अर्थात:-

सारणी

अधिकारी का नामपदनाम और पता ,	कारखाने का नाम और पता
(1)	(2)
श्री एम. राजगोपाल, महाप्रबंधक, एसपीएल परियोजना बैलाडीला भवन, एनएमडीसी लिमिटेड गीदम रोड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ पिन: 494001	1. पैलेट संयंत्र, एनएमडीसी लिमिटेड एनएमडीसी लौह और इस्पात संयंत्र के निकट ग्राम: चोकावाडा और कस्तूरी नगरनार क्षेत्र, जगदलपुर जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, पिन-494001

	2. बैलाडीला से नगरनार तक स्लरी पाइपलाइन प्रणाली (138 किमी लंबाई), छत्तीसगढ़ 3. लौह अयस्क बेनिफिसिएशन संयंत्र, बचेली कॉम्प्लेक्स, जिला: दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, पिन-494553
--	--

[फा. सं 6 (9)/2016-आरएम-1]

अभिजीत नरेन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2022.

S.O. 3549(E).—In pursuance of clause (iii) of the first proviso to clause (n) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Steel number S.O. 1305(E), dated the 12th April, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 26th April, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the person specified in column (1) of the Table below to manage the affairs of the factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table who shall be deemed to be the occupier for the purposes of the said Act, namely :-

TABLE

Name, designation and address of officer.	Name and address of factory.
(1)	(2)
Shri. M. Rajgopal, General Manager, SPL Project Bailadila Bhavan, NMDC Ltd, Geedam Road, Jagdalpur, Chhattisgarh, Pin:- 494001.	1. Pellet Plant, NMDC Ltd., Near NMDC Iron and Steel Plant Villages: Chokavada and Kasturi Nagarnar Area, Jagdalpur District Bastar, Chhattisgarh, Pin- 494001. 2. Slurry Pipeline System from Bailadila to Nagarnar (138 km length), Chhattisgarh. 3. Iron Ore Beneficiation Plant, Bacheli Complex, District:Dakshin Bastar, Dantewada Chhattisgarh, Pin- 494553.

[F. No. 6(9)/2016-RM-1]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.